

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कमांक/राजस्व/2026/743

दिनांक:-21/05/2026

प्रेषिति :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियां

विषय :-इजराय प्र0सं0 09/2021 राजेन्द्र कुमार बनाम जालम बंजारा
वगै. में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि
इजराय प्र0सं0 09/2021 राजेन्द्र कुमार पिता रामेश्वरलाल शर्मा बनाम जालम
पिता भाणा बंजारा वगैरह में आदेशानुसार भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां व पटवारी
भोपतपुरा द्वारा ग्राम गोरधनपुरा की आराजी नं. 46 की नपती मुस्तकिल
निशानात् से की जाकर राजस्व रेकार्ड से सर्वे आलात की सहायता से नपती
की गई। व प्रतिवादीगणों की कब्जेशुदा भूमि को वादी को सिपुर्द किया गया।
बावजूद सूचना प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं रहे।

अतः भू0अ0नि0/पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा सलंगन कर रिपोर्ट
श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

सलंगन:- उक्तानुसार

भवदीय

(ललित कुमार डीडवानिया)
तहसीलदार बिजौलिया

मौजिया पत्राचार माहफाशा ग्राम - गोरखपुरा

Rev

21/05/26

कृपया दिनांक 20.5.26 को श्रीमान तहसीलदार कारखाने (बिजनेस) के आदेश (आंशिक) संक्र. 2026/1082/State - 22.7.24 की प्रकृति में श्रीमान कारखाने के अधिकारी के आदेश (बिजनेस) के अन्तर्गत संख्या 03/21 की धारणा में ग्राम - गोरखपुरा की आंशिक-46 पर सुर्खियों की वादी शरीफुल्लाह सिद्दीक रजिस्ट्रार लाल शर्मा व उत्तरीवादी लोगों को पूर्व में सूचित करते हुए निर्धार की प्रकृति में उत्तरीवादी लोगों के कब्जे हुए भूखंडों को बहाल किया जाये कल्याण वादी को शरीफुल्लाह शर्मा का आदेश होने से आंशिक-46 की नगरी उत्तरीवादी निवासियों से की जाये अन्तर्गत निर्देशों के अन्तर्गत आलमत की है सिद्धांत से नगरी की गई। एक उत्तरीवादी लोगों की कब्जे हुए भूखंडों की वादी को शरीफुल्लाह सिद्दीक सिपाय जमाना वायसूफ सूचना उत्तरीवादी लोग को सूचित नहीं रही।

बाद कर्तव्यहीन पत्राचार तथा अप्रत्याशित उपस्थिति के कारण विवेकपूर्ण

श्रीमान

श्रीमान

श्रीमान
प-भोपालपुरा

1st
दस्तावेज

20/5/26

प्रकाश